**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**सैन्य कार्य विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3470**

**13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए**

**पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए नागरिक/सैनिक**

**3470. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और आज की तिथि तक वर्तमान वर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में मारे गए नागरिकों और सैनिकों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)**

(क) (i) **नागरिक:** रक्षा मंत्रालय हताहत हुए नागरिकों के डेटा का रखरखाव नहीं करता है । गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के मुताबिक, चूँकि 'पुलिस' और 'पब्लिक ऑर्डर' भारत के संविधान के सातवें शेड्यूल के तहत राज्य के विषय हैं, इसलिए नागरिकों के हताहत होने के डेटा का रख रखाव संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश करता है।

(ii) **सैनिक:** पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज की तारीख तक पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी के कारण भारतीय सेना के युद्ध हताहतों (घातक) का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | वर्ष | अधिकारी | जेसीओ* | ओआर** | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| (कक) | 2023 | - | - | - | - |
| (कख) | 2024 | - | - | - | - |
| (कग) | 2025 | - | 01 | 04 | 05 |
| (कघ) | 2026 आज तक | - | - | - | |
| **कुल** | | - | 01 | 04 | 05 |

* जेसीओ –जूनियर कमीशंड अधिकारी

** ओआर –अन्य रैंक

(ख) (i) सैनिकों को युद्ध विराम के उल्लंघनों और गोलाबारी से सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए गए हैं। सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से संरक्षात्मक गियर से लैस किया गया है।

(ii) नियंत्रण रेखा (एलसी) पर स्थित चौकियों को शत्रु की गोलाबारी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप में मजबूत बनाया गया है। अपने सैनिकों को शत्रु की कार्रवाई से सुरक्षित रखने के लिए एलसी पर पर्याप्त अवसंरचना मौजूद है।

*****